



**छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर**  
शंकर नगर मार्ग, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष 0771-2439564, फ़ैक्स-0771-2331525, 2446556 वेबसाईट : [www.psc.cg.gov.in](http://www.psc.cg.gov.in)

क्रमांक/936/08/2019/प.गो.

रायपुर, दिनांक 13-10-2020

**--:: विज्ञप्ति ::--**

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के विज्ञापन क्रमांक 03/2019/परीक्षा/दिनांक 01.02.2019 प्रकाशन की तिथि 06.02.2019 द्वारा विधि एवं विधायी कार्य विभाग के अंतर्गत व्यवहार न्यायाधीश (प्रवेश स्तर) के कुल-39 पद विज्ञापित किए गए थे।

व्यवहार न्यायाधीश (प्रवेश स्तर) परीक्षा-2019 का आयोजन दिनांक 07 मई 2019 को किया गया। उक्त परीक्षा के परिणाम के आधार पर आयोग द्वारा कुल-427 अभ्यर्थियों का व्यवहार न्यायाधीश (मुख्य) परीक्षा-2019 हेतु प्रावधिक आधार पर चिन्हांकन किया गया था।

आयोग द्वारा दिनांक 21 सितम्बर 2020 को व्यवहार न्यायाधीश (मुख्य) परीक्षा-2020 का आयोजन किया गया। उक्त परीक्षा के विज्ञापित पदों का 03 गुणा अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु चिन्हांकन किया जाना था, परंतु वर्गवार/उपवर्गवार चिन्हांकित अंतिम अभ्यर्थी के समान प्राप्तांकों की पुनरावृत्ति होने के कारण कुल-127 अभ्यर्थी साक्षात्कार हेतु चिन्हांकित हुए।

व्यवहार न्यायाधीश परीक्षा-2019 हेतु साक्षात्कार की तिथि पृथक से घोषित की जाएगी।

उपर्युक्त परीक्षा के लिखित परीक्षा परिणाम आयोग के वेबसाईट [www.psc.cg.gov.in](http://www.psc.cg.gov.in) पर जारी (अपलोड) कर दिए गए हैं।

*Signature* 13.10.2020  
परीक्षा नियंत्रक

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग,  
रायपुर



छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर  
शंकर नगर मार्ग, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष 0771-2439564, फ़ैक्स-0771-2331525, 2446556 वेबसाईट : [www.psc.cg.gov.in](http://www.psc.cg.gov.in)

क्रमांक/935/08/2019/प.गो.

रायपुर, दिनांक 13-10-2020

लिखित परीक्षा परिणाम

व्यवहार न्यायाधीश (मुख्य) परीक्षा-2019

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के विज्ञापन क्रमांक 03/2019/परीक्षा/दिनांक 01.02.2019 प्रकाशन की तिथि 06.02.2019 द्वारा विधि एवं विधायी कार्य विभाग के अंतर्गत व्यवहार न्यायाधीश (प्रवेश स्तर) के कुल-39 पद विज्ञापित किए गए थे। दिनांक 07 मई 2019 को ऑनलाईन आयोजित व्यवहार न्यायाधीश (प्रवेश स्तर) परीक्षा-2019 के प्राप्तांकों व वर्गवार/उपवर्गवार अर्ह अभ्यर्थियों की उपलब्धता के आधार पर कुल-427 अभ्यर्थियों को व्यवहार न्यायाधीश (मुख्य) परीक्षा-2019 हेतु चिन्हांकित किया गया था।

आयोग द्वारा दिनांक 21 सितम्बर 2020 को आयोजित व्यवहार न्यायाधीश (मुख्य) परीक्षा-2019 के परीक्षा परिणाम के आधार पर प्राप्तांकों व वर्गवार/उपवर्गवार अर्ह अभ्यर्थियों की उपलब्धता के आधार पर कुल-127 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु चिन्हांकित किया गया है, जिनके अनुक्रमांक बढ़ते क्रम में निम्नानुसार हैं:-

1903100028	1903100151	1903100156	1903100187	1903100189
1903100199	1903100200	1903100209	1903100251	1903100257
1903100336	1903100375	1903100414	1903100418	1903100444
1903100450	1903100497	1903100512	1903100526	1903100582
1903100590	1903100675	1903100699	1903100701	1903100708
1903100713	1903100724	1903100751	1903100775	1903100792
1903100831	1903100873	1903100876	1903100908	1903100978
1903101369	1903101640	1903101846	1903102234	1903102315
1903102465	1903102513	1903102666	1903102667	1903103605
1903104464	1903104942	1903104954	1903105063	1903105079
1903105080	1903105099	1903105101	1903105319	1903105591
1903105744	1903105793	1903105806	1903105840	1903105871
1903105885	1903105911	1903105950	1903106076	1903106078
1903106186	1903106337	1903106357	1903106406	1903106414
1903106549	1903106661	1903106695	1903106712	1903106724
1903106786	1903106844	1903106893	1903106905	1903106915
1903107010	1903107053	1903107085	1903107103	1903107104
1903107140	1903107164	1903107211	1903107221	1903107240
1903107259	1903107307	1903107366	1903107394	1903107447
1903107486	1903107498	1903107506	1903107559	1903107580
1903107635	1903107676	1903107705	1903107714	1903107791
1903107796	1903107824	1903107844	1903107860	1903107876

Qm

36



1903107877	1903107888	1903107890	1903107933	1903107979
1903108025	1903108032	1903108035	1903108165	1903108211
1903108215	1903108251	1903108282	1903108316	1903108394
1903108399	1903108483	×	×	×

कुल संख्या-127

टीप:-

1. व्यवहार न्यायाधीश (मुख्य) परीक्षा-2019 के आयोजित लिखित परीक्षा के आधार पर साक्षात्कार हेतु उपर्युक्तानुसार चिन्हांकित अभ्यर्थियों की अर्हता छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के विज्ञापन क्रमांक 03/2019/परीक्षा/दिनांक 01.02.2019 प्रकाशन की तिथि 06.02.2019 की समस्त कंडिकाओं में वर्णित प्रावधानों तथा छत्तीसगढ़ शासन के विद्यमान नियमों के अधीन होगी।
2. किसी वर्ग अथवा उपवर्ग में चिन्हांकित अंतिम अभ्यर्थी के समान प्राप्तांक वाले अभ्यर्थी भी साक्षात्कार हेतु चिन्हांकित किए जाते हैं।
3. साक्षात्कार हेतु उक्त अभ्यर्थियों का चिन्हांकन पूर्णतः प्रावधिक है तथा चिन्हांकन/चयन के किसी भी स्तर पर किसी भी अभ्यर्थी को अयोग्य पाए जाने पर आयोग द्वारा अनर्ह घोषित कर चिन्हांकन/चयन प्रक्रिया से पृथक किया जा सकता है।
4. व्यवहार न्यायाधीश परीक्षा-2019 के साक्षात्कार की तिथि पृथक से घोषित की जाएगी।
5. उक्त परीक्षा के साक्षात्कार हेतु चिन्हांकित अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे आयोग की वेबसाईट [www.psc.cg.gov.in](http://www.psc.cg.gov.in) का नियमित अवलोकन करते रहें।
6. उपर्युक्तानुसार घोषित लिखित परीक्षा परिणाम में अंकण/टंकण/मुद्रण/प्रक्रिया संबंधी त्रुटि होने पर आयोग में संधारित मूल डाटा के आधार पर तैयार सूची ही मान्य होगी।

(छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा अनुमोदित)

*Subin* 13.X.2020  
परीक्षा नियंत्रक  
छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग,  
रायपुर